तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या– 146/2020 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

अनवानः नगरपालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्रीभगवान पुत्र श्रीफुसाराम जाति ब्राह्मण निवासी 44 एन डी आर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसील (राजस्व), सूरतगढ़।

25.09.2020

आज यह पत्रावली अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ जरिये अभिभाषक श्री बहादुरराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा वादगत भूमि की तरमीम कर अपीलांट को भी संतुष्ट कर दिया गया है। अब वादगत भूमि बाबत कोई विवाद शेष नहीं रहा है। अतः अपीलांट अपनी अपील विड्रा करना चाहता है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा दिनांक 21.10.2019 जिसकी रूह से उतरवादी नं. 2 द्वारा प्रस्तुत अपील नं. 74/2017 श्रीभगवान बनाम नगर पालिका सूरतगढ़ स्वीकार कर अपीलांट के रकबा का तरमीम निरस्त किया गया के निर्णय को निरस्त कर अपीलांट के नाम की तरमीम पुनः बहाल करने बाबत इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण नगरपालिका सूरतगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूतरगढ़ इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विड्रा करना चाहते है। अतः यह अपील अपीलांट जरिये विड्रावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति नगरपालिका सूरतगढ़ को प्रेषित हो। निगरानी नंबर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर